रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052020-219489
CG-DL-E-21052020-219489

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1383] नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2020/वैशाख 30, 1942
No. 1383] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2020/VAISAKHA 30, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2020

का.आ. 1544(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ., जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मणिपुर राज्य के चुराचांदपुर जिले में NH102 B के कि.मी. 32.835 से कि.मी. 69.875 (ऑफिस ऑफ़ थे डिप्टी कमिश्नर , चुराचांदपुर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 26 फेब्रुआरी,2020 को "दी संगाई एक्सप्रेस" और "मणिपुर एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मणिपुर राज्य के चुराचांदपुर जिले में NH102 B के कि.मी. 32.835 से कि.मी.69.875 (ऑफिस ऑफ़ थे डिप्टी कमिश्नर, चुराचांदपुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मणिपुर		**जिले का नाम: चुराचांदपुर**			
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: सिंगनगट				
	गांव का नाम: सिंगगाट				
1	S P 1	निजी(बारेन)	ड्राई	0.000867	कैचिंतांग (एस पी १)
2	S P 10	निजी(बारेन)	ड्राई	0.178696	जनसुआखे (एस पी १०)
3	S P 11	निजी(बारेन)	ड्राई	0.852625	एब्सेंट (एस पी ११)
4	S P 2	निजी(बारेन)	ड्राई	14.22369	होखुआलिआं मुनलुआ (एस पी २)
5	S P 3	निजी(बारेन)	ड्राई	0.010399	थांगथांग (एस पी ३)
6	S P 4	निजी(बारेन)	ड्राई	0.00965	थैलियन (एस पी ४)
7	S P 5	निजी(बारेन)	ड्राई	0.223803	S.हॉलीअनलाल (एस पी ५)
8	S P 6	निजी(बारेन)	ड्राई	0.137656	खंचिन्खुप (एस पी ६)
9	S P 7	निजी(बारेन)	ड्राई	0.303047	कड़जमुआं (एस पी ७)

10	S P 8	निजी(बारेन)	ड्राई	0.268936	थांगमिंगलियन (एस पी ८)
11	S P 9	निजी(बारेन)	ड्राई	0.15323	ज़मकहोकै (एस पी ९)
	तालुक का नाम: सुअंगदोह				
	गांव का नाम: सी. तुईवेळजंग				
1	C P 1	निजी(बारेन)	ड्राई	3.162297	G .चिंगू (सी पी १)
2	C P 10	निजी(बारेन)	ड्राई	0.233547	G ंगुलखानथांग (सी पी १०)
3	C P 11	निजी(बारेन)	ड्राई	0.025133	हांग्जालाल (सी पी ११)
4	C P 12	निजी(बारेन)	ड्राई	0.159128	पौखांपांग (सी पी १२)
5	C P 13	निजी(बारेन)	ड्राई	0.065425	चिंनगैहलुम (सी पी १३)
6	C P 2	निजी(बारेन)	ड्राई	0.098073	तुएंखंपाउ फुअल्टी (सी पी २)
7	C P 3	निजी(बारेन)	ड्राई	0.102879	G थांगसुआलिआं (सी पी ३)
8	C P 4	निजी(बारेन)	ड्राई	0.07799	S खानथांग गुइटे (सी पी ४)
9	C P 5	निजी(कल्टीवेशन)	ड्राई	0.076389	फुंगजाखन (सी पी ५)
10	C P 6	निजी(बारेन)	ड्राई	0.303304	हुआतकहांथांग (सी पी ६)
11	C P 6	निजी(बारेन)	ड्राई	0.097324	T .गिनचिनथैंग (सी पी ६ ए)
12	C P 7	निजी(बारेन)	ड्राई	0.05556	P. नेंगसुआंलाल गुइटे (सी पी ७)
13	C P 8	निजी(बारेन)	ड्राई	0.179315	चींखोलियन गुइटे (सी पी ८)
14	C P 9	निजी(बारेन)	ड्राई	0.135902	हांग्जागिन (सी पी ९)

	गांव का नाम: माउकट				
15	F C 1	निजी(कल्टीवेशन)	ड्राई	0.1365	डी कंसुआ थांग (एफ सी १)
16	M P 1	निजी(बारेन)	ड्राई	1.282936	डी कंसुआ थांग (एस पी १)
17	M P 2	निजी(बारेन)	ड्राई	1.5218	लमज़ेगें (एम पी २)
			कुल	**24.076101**	

[फा. सं. NHIDCL/BO-IMPHAL/DPR/2017-18/3A/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2020

S.O. 1544(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH102 B on the stretch of land from Km 32.835 to Km. 69.875 (office of the Deputy Commissioner , Churachandpur) in the district of CHURACHANDPUR in the state of MANIPUR;

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Sangai Express" and "Manipur Express" both dated February 26,2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH102 B in the stretch of land from Km. 32.385 to Km. 69.875 (Office of the Deputy Commissioner, Churachandpur) in the district of CHURACHANDPUR in the State of MANIPUR

State: MANIPUR		**District: CHURACHANDPUR**			
Sl. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Singngat				
	Village: Singngat				
1	S P 1	Private(BARREN)	DRY	0.000867	KAICHINTHANG S P 1
2	S P 10	Private(BARREN)	DRY	0.178696	M ZANSUANKHAI S P 10
3	S P 11	Private(BARREN)	DRY	0.852625	ABSENT S P 11
4	S P 2	Private(BARREN)	DRY	14.22369	HAUKHUOLIAN MUNLUO S P 2
5	S P 3	Private(BARREN)	DRY	0.010399	THONGTHANG S P 3
6	S P 4	Private(BARREN)	DRY	0.00965	THANLIAN S P 4
7	S P 5	Private(BARREN)	DRY	0.223803	S.HAULIANLAL S P 5
8	S P 6	Private(BARREN)	DRY	0.137656	KHAMCHINKHUP S P 6
9	S P 7	Private(BARREN)	DRY	0.303047	KADZAMUAN S P 7
10	S P 8	Private(BARREN)	DRY	0.268936	THANGHMINGLIAN S P 8
11	S P 9	Private(Barren)	Dry	0.15323	ZAMKHOKAI S P 9
	Taluk: Suangdoh				
	Village: C. Tuiveljang				
1	C P 1	Private(BARREN)	DRY	3.162297	G. CHINGOU C P 1
2	C P 10	Private(BARREN)	DRY	0.233547	G NGULKHANTHANG C P 10
3	C P 11	Private(BARREN)	DRY	0.025133	HANGZALAL C P 11
4	C P 12	Private(BARREN)	DRY	0.159128	PAUKHANPANG C P 12
5	C P 13	Private(BARREN)	DRY	0.065425	CHINNGAIHLUM C P 13
6	C P 2	Private(BARREN)	DRY	0.098073	TUANKHANPAU PHUALTE C P 2

7	C P 3	Private(BARREN)	DRY	0.102879	G THANGSUANLIAN C P 3
8	C P 4	Private(BARREN)	DRY	0.07799	S KHANTHANG GUITE C P 4
9	C P 5	Private(CULTIVATION)	DRY	0.076389	PHUNGZAKHAN C P 5
10	C P 6	Private(Barren)	Dry	0.303304	HUATKHANTHANG C P 6
11	C P 6	Private(Barren)	Dry	0.097324	T. GINCHINTHANG C P 6 A
12	C P 7	Private(BARREN)	DRY	0.05556	P. NENGSUANLAL GUITE C P 7
13	C P 8	Private(BARREN)	DRY	0.179315	CHINKHOLIAN GUITE C P 8
14	C P 9	Private(BARREN)	DRY	0.135902	HANGZAGIN C P 9
	Village: Maukot				
15	F C 1	Private(CULTIVATION)	DRY	0.1365	D KAMSUAN THANG F C 1
16	M P 1	Private(BARREN)	DRY	1.282936	D KAMSUAN THANG M P 1
17	M P 2	Private(BARREN)	DRY	1.5218	LAMZAGEN M P 2
			TOTAL	**24.076101**	

[F. No. NHIDCL/BO-IMPHAL/DPR/2017-18/3A/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.05.21 20:33:06 +05'30'